

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 4/2020-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2020

सा.का.नि.....(अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 53(अ), तारीख 23 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्यांक 4/2018-केन्द्रीय कर, तारीख 23 जनवरी, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, तीसरे परंतुक में:-

““10 जनवरी, 2020” अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, “17 जनवरी, 2020” अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।”।

[फा. सं. 20/06/07/2019-जीएसटी(भाग II)]

(प्रमोद कुमार)

निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना संख्यांक 4/2018-केन्द्रीय कर, तारीख 23 जनवरी, 2018, भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक सा.का.नि. 53(अ), तारीख 23 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 74/2019-केन्द्रीय कर, तारीख 26 दिसंबर, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. 953(अ) तारीख 26 दिसंबर, 2019, द्वारा संशोधित की गई थी।